अखिल भारतीय अघरिया समाज का संविधान

(मई 2009 तक संशोधित एवं पारित)

धारा क्रमांक-1 संगठन का नाम 'अखिल भारतीय अघरिया समाज' होगा जिसे तत्पश्चात् 'संगठन' के नाम से संबोधित करेंगे।

धारा क्रमांक-2- संगठन का मुख्यालय 'रायगढ़' में होगा। संगठन रजिस्ट्रार फार्म्स एवं सोसायटी, द्वारा पंजीबद्ध है, जिसका पंजीयन क्रमांक 8447 है।

यह संविधान 16.5.99 से लागू माना जायेगा।

धारा क्रमांक-3- संगठन का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा।

धारा क्रमांक 4- संगठन अपने कार्य संचालन की सुगमता के लिए निम्न स्तरों पर कार्य करेगा-

1. केंद्रीय समिति
2. आंचलिक समिति
3. क्षेत्रीय समिति
4. परिक्षेत्रीय समिति
5. ग्राम समिति

उपरोक्त में ग्राम समितियाँ 'ग्रास रुट' (Grass Root) स्तरीय कार्य करने वाली होगी तथा इससे ऊपर सभी समितियाँ क्रम से उच्च स्तरीय होंगी। आंचलिक समिति का दर्जा समन्वयक का होगा तथा सर्वोच्च समिति के रूप में केंद्रीय समिति कार्य करेगी।

धारा क्रमांक-5-ग्राम समिति- प्रत्येक अघरिया आवासित ग्राम में जहाँ अघरिया परिवार की संख्या 5 या अधिक हो, वहाँ ग्राम समिति का गठन होगा, 5 से कम अघरिया परिवार आवासीय ग्रामों को एक समूह बनाया जा सकता है, जिसमें एक ग्राम प्रमुख चुना जायेगा जो इस ग्राम या ग्राम समूह में संगठन के कार्यों का संचालन करेगा।

परिक्षेत्रीय समिति- उक्त दर्शित 5 से 15 ग्राम मिलकर एक परिक्षेत्र का निर्माण करेंगे जो कि उस क्षेत्र कि भौगोलिक तथा आवागमन की सुविधानुसार तय की जा सकती है।

प्रत्येक परिक्षेत्र में एक परिक्षेत्रीय समिति गठित की जायेगी, जिसका चुनाव ग्राम प्रमुख, संरक्षक सदस्य एवं आजीवन सदस्य करेंगे। परिक्षेत्रीय इकाई का कार्य अपने कार्य क्षेत्र के ग्रामों में ग्राम प्रमुखों द्वारा किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन करना होगा। परिक्षेत्र स्तर पर संगठन के संविधान तथा नियमावली (आचार संहिता) के सदस्यों पर लागू कराने की जिम्मेदारी, सदस्यता अभियान में क्षेत्रीय समिति की सहायता करना, प्राप्त राशि को क्षेत्रीय समिति में जमा करना, सर्वेक्षण कार्य करना तथा केंद्रीय, क्षेत्रीय या आंचलिक समिति द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य के साथ-साथ सदस्यों के मध्य परस्पर सौहार्द्र, सहयोग को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक, साहित्यिक, क्रीड़ा आदि कार्यक्रमों का संचालन, महिलाओं तथा बच्चों के शैक्षणिक, शारीरिक विकास हेतु कार्यक्रम का संचालन करना होगा।

इसके अतिरिक्त क्षेत्राधीन ग्रामों में प्राप्त विभिन्न सामाजिक प्रकरणों को स्वीकार करना, उन पर विचार करना तथा उचित निर्णय कर उसके अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय समिति को भेजना भी इन परिक्षेत्रीय समितियों के कार्य होंगे।

क्षेत्रीय समिति- ये समितियाँ संघीय व्यवस्था के तहत केंद्रीय समिति से सम्बद्ध एक इकाई होंगी। उन्हें निर्धारित शुल्क रुपये 251/- अदा कर केंद्र से सम्बद्धता हासिल करनी होगी। सम्बद्धता के पश्चात् इन्हें केंद्रीय समिति के संविधान, नियमावली तथा मार्गदर्शन अनुसार कार्य करना होगा। क्षेत्रीय समिति का कार्यक्षेत्र केंद्रीय समिति द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में होगा जिसकी भौगोलिक सीमा केंद्र के द्वारा निर्धारित की जावेगी। क्षेत्रीय समिति का गठन समस्त परिक्षेत्रीय समिति के अध्यक्षों तथा उनके क्षेत्र में निवासरत केंद्रीय संरक्षक सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

क्षेत्रीय समितियाँ अपने क्षेत्राधीन के ग्रामों, परिक्षेत्रों में संगठन के संविधान नियमावली (आचार संहिता) को लागू कराने के लिये परस्पर समन्वयन करेगी, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सदस्यों के मध्य परस्पर सौहार्द्र विकसित करने में सदस्यता अभियान, आय-व्यय पंजी के रख-रखाव, बैंक खाता परिचालन आदि कार्यों के साथ-साथ परिक्षेत्रों से प्राप्त सामाजिक प्रकरणों के निपटारा/निर्णय/अनुमोदन या आवश्यक होने पर केंद्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने का कार्य भी करेगी।

क्षेत्रीय समिति अपने समस्त कार्य, अपने आंचलिक समिति के समन्वयन के साथ केंद्रीय समिति के मार्गदर्शन में करेंगी। क्षेत्रीय समितियाँ अपने आय वृद्धि हेतु केंद्रीय समिति के मार्गदर्शन पर कार्य करेंगी। क्षेत्रीय समितियाँ अपनी आय वृद्धि हेतु केंद्रीय समिति के द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क के अतिरिक्त क्षेत्रानुसार

तय करने में स्वतंत्र होगी।

क्षेत्रीय समिति की अपने आय-व्यय की विवरणी वार्षिक रूप से (01 जनवरी से 31 दिसम्बर) तक तैयार करना होगा तथा पहले अपने स्तर पर अंकेक्षण करा कर एक प्रति 28 फरवरी तक केंद्रीय समिति को आवश्यक रूप से भेजना होगा। प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई अपने आय-व्यय के लिए स्वयं उत्तरदायी होगी तथा उनके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए केंद्रीय समिति या आंचलिक समिति उत्तरदायी या जवाबदेह नहीं होगी।

आंचलिक समिति-केंद्रीय समिति को अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक जिले में या जिला समूहों में एक आंचलिक समिति गठन करने का अधिकार होगा। इसका गठन केंद्रीय समिति के विवेकानुसार होगा तथा वही ही इसके लिये एक अंचल प्रभारी (जो कि केंद्रीय उपाध्यक्षों में एक होगा, आंचलिक सचिव तथा प्रवक्ता) का मनोनयन करेगी। अंचल प्रभारी आगे अपने अंचल में स्वविवेकानुसार, आवश्यकतानुसार अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन करेंगे। आंचलिक समितियों का कार्य केवल अपने निर्धारित अंचल के अन्तर्गत आने वाली क्षेत्रीय इकाइयों का समन्वय तथा मार्गदर्शन करना होगा। इनको स्वतंत्र रूप से आय-व्यय का अधिकार नहीं होगा, न ही वे कोई वित्तीय खाता संचालित कर सकेंगी। अपने अंचल का उत्तरदायित्व आंचलिक समितियों का होगा।

केंद्रीय समिति- केंद्रीय समिति संगठन में सर्वोच्च शक्ति संपन्न होगी जिसका कार्य संगठन के संपूर्ण कार्यक्षेत्र में संगठन के क्रियाकलापों के द्वारा संगठनात्मक उद्देश्य के लिये कार्य करना होगा। केंद्रीय समिति के द्वारा समस्त निचली समितियों का समन्वय, मार्गदर्शन, दिशा-निर्देश एवं समीक्षा करना होगा। केंद्रीय समिति को अधिकार होगा कि संगठन के नियमानुसार कार्य नहीं करने वाली क्षेत्रीय समितियों की सम्बद्धता, स्पष्टीकरण के उचित अवसर देने के पश्चात् दोषी पाये जाने पर समाप्त कर सके। केंद्रीय समिति को महासभा के आयोजन का अधिकार या इसे किसी भी क्षेत्रीय समिति को प्रत्यायोजित करने का अधिकार होगा।

केंद्रीय समिति को अंचल क्षेत्र में प्राप्त सामाजिक प्रकरणों पर विचार, निर्णय, मार्गदर्शन, अपील सुनने या निरस्त करने का अंतिम अधिकार होगा। केंद्रीय समिति द्वारा स्वतंत्र रूप से वित्तीय संचालन, रख-रखाव का कार्य किया जाएगा। यह क्षेत्रीय समितियों के वित्तीय कार्यों के लिये जवाबदेह नहीं होगी, किन्तु उसे इन समितियों के पूर्ण नियंत्रण का अधिकार होगा।

धारा क्रमांक-6- संगठन के उद्देश्य-

संगठन के निम्न उद्देश्य होंगे-

6.1 संगठन का प्राथमिक उद्देश्य समग्र अघरिया समुदाय के सदस्यों को संगठित कर एकसूत्र में पिरोये रखना है।

6.2 समाज की एकता में उत्पन्न समग्र ऊर्जा का प्रयोग समाज में व्याप्त बुराइयों, कुरीतियों, रुढ़ियों, अशिक्षा आदि के विरुद्ध एक जनमत तैयार करना।

6.3 सामाजिक सदस्यों के मध्य परस्पर सहयोग, सौहार्द्र एवं समभाव की मानसिकता का विकास करना।

6.4 महिलाओं की शिक्षा, उनके जीवन स्तर तथा वैचारिक स्तर में पर्याप्त सुधार करना तथा उनकी समाज विकास में सहभागिता सुनिश्चित करना। इसके लिये महिलाओं की एक स्वतंत्र इकाई गठित करना।

6.5 प्रगतिशील विचारधारा के साथ विवेकपूर्ण, तर्क संगत विधि से अपने को अनुकूल बनाना।

6.6 विभिन्न सामाजिक बुराई जैसे मद्यपान, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए एक सभ्य समाज की स्थापना की दिशा में प्रयास करना।

6.7 समाज में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, क्रीड़ा कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा सदस्यों के मध्य परस्पर मैत्रीभाव विकसित करना तथा खुशहाल वातावरण तैयार करना।

6.8 युवा शक्ति की ऊर्जा को संगठित कर इसका समाज हित में उपयोग करना, इसके लिये संगठन में विभिन्न स्तरों पर युवा मंच गठित करना।

6.9 सदस्यों से तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं/व्यक्तियों से आर्थिक, मानसिक तथा शारीरिक सहयोग लेना तथा उसका उपयोग, सामाजिक भवन, सांस्कृतिक भवन, कन्या/पुरुष छात्रावास, विद्यालय संचालन या अन्य किसी सर्वमान्य सामाजिक कार्य में करना।

6.10 समाज में वैचारिक जागरण के उद्देश्य से एक खुले मंच के रूप में एक नियतकालीन या अनियतकालीन पत्रिका, स्मारिका या बुलेटिन का प्रकाशन स्वयं करना या उसमें सहयोग करना।

6.11 विभिन्न समाज कल्याण गतिविधियों का संचालन करना।

6.12 निर्धन मेघावी छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना।

6.13 सदस्यों के मध्य उत्पन्न विभिन्न विवादों, मतभेदों का समझौते द्वारा रीतिनुसार, विधिसम्मत संशोधन करना तथा उनको सदस्यों पर लागू करना।

6.15 सामाजिक अस्मिता, संस्कृति की रक्षा के साथ नैतिकता का विकास करना।

6.16 अन्य सेवाभावी एवं सामाजिक संगठनों से सहयोगात्मक मधुर संबंध रखना।

6.17 किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक हित की बातों की अवहेलना, सामाजिक नियमावली का उल्लंघन, सामाजिक संगठन विरोधी गतिविधियों, केंद्रीय समिति द्वारा जनहित में किए गए निर्णयों की अवमानना करने पर केंद्रीय समिति निर्णय लेकर अवमानना नोटिस तथा सामाजिक दंड दे सकती है।

धारा क्रमांक-7-सदस्यता

7.1 अखिल भारतीय अघरिया समाज एक पंजीकृत संस्था है, जिसकी सदस्यता समस्त अघरिया समुदाय के लिए खुली रहेंगी।

7.2 इस संगठन का सदस्य वही व्यक्ति अथवा परिवार कहलायेगा जिसने विधिवत, निर्धारित शुल्क अदा करके सदस्यता ग्रहण की हो तथा संगठन द्वारा उसकी सदस्यता स्वीकार की गयी हो।

7.3 अघरिया जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अघरिया समुदाय का जन्मजात सदस्य कहलायेगा, किन्तु उसे अखिल भारतीय अघरिया समाज नाम से गठित संगठन की सदस्यता उक्त धारा क्रमांक 7.2 अनुसार ही प्राप्त हो सकेगी।

7.4 सदस्यता का अर्थ परिवार के मुखिया की सदस्यता से होगा, जिसके सदस्य बन जाने से पूरा परिवार स्वयंमेव सदस्य बन जायेगा, किन्तु प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी अलग सदस्यता ग्रहण करने के लिये स्वतंत्र होगा। (यहाँ परिवार का अर्थ है- विवाहित पुरुष या स्त्री तथा उस पर आश्रित सदस्यगण, संयुक्त परिवार को एक परिवार नहीं माना जाएगा।)

7.5 सदस्य के लिये आवश्यक होगा कि वह संगठन द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों, नियमों आदि का पालन करेगा।

7.6 निवृतमान केंद्रीय अध्यक्ष संगठन की कार्यकारिणी के एक सम्मानीय सदस्य बने रहेंगे। सदस्यता निम्नानुसार वर्गीकृत की जायेगी-

1. साधारण सदस्य- वह सदस्य जिसने न्यूनतम प्रति माह रुपये 01/- वार्षिक दर 12/- शुल्क अदा किया हो यह राशि न्यूनतम है, किन्तु विभिन्न क्षेत्रीय समितियाँ अपने क्षेत्र के आवश्यकतानुसार इसका पुनर्निधारण कर सकती है।

2. आजीवन सदस्य- वह सदस्य जिसने न्यूनतम रुपये 100/- या उस क्षेत्र विशेष में निर्धारित राशि की अदायगी एकमुश्त कर दी हो। इसमें भी क्षेत्रीय समितियां अपने क्षेत्र में परिवर्तन करने में स्वतंत्र हैं।

3. संरक्षक सदस्य- वह सदस्य जिसने रुपये 1000/- की राशि एकमुश्त अदा कर दी हो, वह संगठन का संरक्षक सदस्य माना जायेगा। इस राशि का 10 प्रतिशत संकलकर्ता को प्रोत्साहन स्वरूप दी जा सकेगी (अगर संकलनकर्ता ऐसा चाहता हो) परन्तु क्षेत्रीय समितियां इस राशि के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होंगे।

7.7 साधारण सदस्य को एक सदस्य मात्र माना जायेगा जो ग्राम स्तर पर या नगर स्तर पर अपनी समिति गठन में मतदान का अधिकार रखेंगे।

आजीवन सदस्य भी साधारण सदस्य की ही भांति होंगे, लेकिन उन्हें प्रतिवर्ष शुल्क अदा नहीं करना होगा। संरक्षक सदस्य विशेष दर्जा प्राप्त सदस्य होंगे तथा इन्हें प्रत्येक स्तर पर समिति गठन में तथा केंद्रीय समिति चुनाव में एक वोट देने का अधिकार होगा।

7.8 संरक्षक सदस्य केंद्रीय सदस्य माने जायेंगे तथा उनके द्वारा अदा किया गया शुल्क केंद्रीय समिति का माना जायेगा, किन्तु क्षेत्रीय समिति द्वारा बनाये गये संरक्षक सदस्यों से शुल्क की 50 प्रतिशत राशि केंद्रीय समिति को भेजना आवश्यक होगा, जिसके बिना ऐसे संरक्षक सदस्यों को केंद्रीय संरक्षक सदस्य का दर्जा व अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

7.9 सदस्यता निर्धारित शुल्क सहित अधिकृत व्यक्ति द्वारा काटी गयी अधिकृत रसीद द्वारा ही मान्य होगी।

7.10 संगठन की किसी भी एक इकाई की सदस्यता ग्रहण कर लेने से व्यक्ति पूरे संगठन का सदस्य हो जाता है। इसके लिए उसे सदस्यता प्रमाण पत्र या रसीद प्रस्तुत करना होगा।

7.11 क्षेत्रीय समितियों को अपने क्षेत्राधीन आने वाले समस्त सदस्यों की सदस्यता शुल्क का 25 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय कोष में जमा करना होगा, जिसके बिना उन्हें केंद्रीय समिति 'सम्बद्धता' प्राप्त नहीं होगी और न ही वे केंद्रीय पंजीकरण के अंतर्गत माने जायेंगे।

7.12 किसी भी सदस्य की सदस्यता केंद्रीय समिति द्वारा क्षेत्रीय समिति की अनुशंसा/अनुमोदन, पर किसी भी समय उचित कारण दर्शाते हुए समाप्त की जा सकती है।

7.13 सदस्यता समाप्ति- कोई सदस्यता निम्न तरीके से समाप्त की जा सकती है-

1. धारा क्रमांक 7.12 के अनुसार

2. सदस्य की मृत्यु पर

3. स्वयं द्वारा त्याग पत्र देने पर

7.14 संगठन की क्षेत्रीय इकाईयाँ अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक सदस्य को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगी, जिसमें मुखिया सदस्य का नाम, परिवार के सदस्यों का नाम, सभी का उम्र, गोत्र, शिक्षा, व्यवसाय और डाक पता की जानकारी होगी। प्रत्येक क्षेत्रीय समिति उक्त पंजी की एक फोटो प्रति केंद्र में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगी।

क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक सदस्य का नाम जोड़ा जाना तथा बाहर जाने वाले सदस्य का नाम काटा जाना वार्षिक रूप से किया जायेगा।

धारा क्रमांक- 8- सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. संगठन के नियमों का पालन करना।
2. सामाजिक कोष तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये प्रयत्नशील रहना।
3. नियमानुसार सदस्यता शुल्क अदा करना तथा इसके संग्रहण के लिये सहायता देना।
4. विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में सक्रियता से हिस्सेदारी द्वारा समाज को सशक्त बनाना।
5. सामाजिक एकता तथा सुदृढ़ता बनाये रखने में सहयोग देना।
6. सामाजिक बुराईयों, कुरीतियों आदि को समाप्त करने में सहयोग देना।
7. समाज में तथा अपने संतानों में शिक्षा सुसंस्कार के विकास में योगदान देना।
8. समाज के विधान, नियम, आचार-संहिता आदि के उल्लंघन, सामाजिक कोष के दुरुपयोग, गबन की जानकारी उचित पदाधिकारी को देना तथा निराकरण में सहयोग देना।
9. पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान देना।

धारा क्रमांक-9-संगठन की संरचना

9.1 संगठन के संपूर्ण कार्यो का संचालन निम्न समितियों/कार्यो (Bodies)के द्वारा की जाएगी-

1. महासभा (सामान्य सभा)
2. केंद्रीय समिति
3. आंचलिक समिति
4. क्षेत्रीय समिति
5. परिक्षेत्रीय समिति
6. ग्राम समिति

उक्त क्रमांक 2 से 6 तक की समितियों का गठन धारा क्रमांक 5 के अनुसार होगा।

9.2 प्रत्येक समिति का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होगा।

9.3 क्षेत्रीय समितियां अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार कार्यकाल को निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र होगी।

9.4 केंद्रीय समिति महासभा में या किसी विशेष अधिवेशन में कार्यकाल के पुनर्निधारण का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

धारा क्रमांक-10-महासभा (सामान्य सभा)-

10.1 'महासभा' संगठन का सर्वोच्च शक्तियुक्त फोरम होगा, जिसे अनन्य अधिकार प्राप्त होंगे।

10.2 'महासभा' की बैठक प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम 2 बार होना आवश्यक है।

10.3 'महासभा' स्थल का चुनाव केंद्रीय समिति द्वारा क्षेत्रों से विचार-विमर्श कर किया जाएगा।

10.4 'महासभा' का आयोजन केंद्रीय समिति द्वारा किया, समझा जाएगा, भले ही किसी क्षेत्रीय समिति के द्वारा उसकी व्यवस्था की गई हो।

10.5 अध्यक्ष द्वारा 'महासभा' की सूचना दी जाएगी, जो निर्धारित तिथि से 30 दिन पूर्व दी जाएगी।

10.6 'महासभा' में प्रत्येक क्षेत्र के सदस्य, पदाधिकारीगण, विशिष्ट विद्वान, राजनेतागण शामिल हो सकेंगे।

10.7 किन्तु महासभा के केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्वाचन सत्र/प्रक्रिया में मात्र वोट देने के अधिकारयुक्त प्रतिनिधि ही शामिल हो सकेंगे। ऐसे प्रतिनिधियों को संबंधित समिति/केंद्रीय समिति से उपयुक्त पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

10.8 'महासभा' के प्रत्येक सत्र में प्रतिनिधियों की संख्या 1/3 होने से कोरम पूरा होगा, किन्तु सभा आरंभ के एक घंटे तक कोरम पूरा न होने पर सभा पुन: एक घंटे के लिए स्थगित रखी जाएगी, तत्पश्चात् पुन: आरंभ सभा के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, तथा ऐसी सभा द्वारा पारित समस्त प्रस्ताव या निर्णय बहुमत से लिये निर्णय के समान ही माने जाएंगे।

10.9 दो महासभा में एक को सामान्य तथा दूसरे को सामान्य महासभा का दर्जा होगा। सामान्य महासभा पांच वर्ष में एक बार होगी तथा इसमें केंद्रीय कार्यकारिणी का पुर्नगठन होगा।

10.10 महासभाओं के लिए गए निर्णय, पारित प्रस्ताव तथा किये गये संशोधन सर्वमान्य होंगे, इन्हें केवल विशेष अधिवेशन या अगले महासभा में ही बदला जा सकेगा।
विशेष तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में केंद्रीय कार्यकारिणी को विशेष अधिवेशन बुलाने का तथा उसमें विषय विशेष पर चर्चा का तथा परिवर्तन या संशोधन का अधिकार होगा।

10.11 'महासभा' के अतिरिक्त अन्य समस्त सभाओं जैसे क्षेत्रीय सभा, ग्राम सभा आदि बैठकों में भी कार्य प्रक्रिया उक्त धारा 10.5 से 10.8 के अनुसार होगा।

धारा क्रमांक-11-निर्वाचन प्रक्रिया हेतु चुनाव अधिकारियों का पैनल-

समस्त स्तरों पर होने वाले पदाधिकारियों के होने वाले मनोनयन/निर्वाचन को असंदिग्ध एवं सुचारू बनाने के लिये मनोननय/निर्वाचन के समय से पूर्व या स्थल पर चुनाव संपन्न कराने वाले चुनाव अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी जिसे किसी उच्च समिति या केंद्रीय समिति द्वारा नामांकित करके या वहाँ निर्वाचन सथल पर सदस्यों की आम सहमति से बनाया जा सकेगा।

11.1 निर्वाचन समिति सदस्यों की संख्या स्थानानुसार 3 से 5 होगी, जिससे विवाद की स्थिति से बहुमत से निर्णय लिया जा सके।

11.2 निर्वाचन समिति निर्वाचन कार्य का संचालन पूरी निष्पक्षता तथा बिना किसी पूर्वाग्राह से करेगी।

11.3 समिति का कार्य निर्वाचन प्रक्रिया को नियमानुसार संचालित करने तथा निर्वाचन के परिणामको यथानुसार घोषणा करना होगा।
मतदाता-केंद्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव/मनोनयन करने के लिए मतदान की पात्रता सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, केद्रीय प्रतिनिधि एवं संरक्षक सदस्यों को ही होगी। यहाँ केंद्रीय प्रतिनिधि वे होंगे, जिसे प्रत्येक क्षेत्र से ग्राम एवं परिक्षेत्रीय प्रमुखों द्वारा मनोनित या निर्वाचित किया जाएगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय प्रतिनिधि एवं केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माने जायेंगे।

धारा क्रमांक-12-अध्यक्ष पद के लिये न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है।

12.1 केंद्रीय पदों के लिए वे उम्मीद्वार ही पात्र होंगे जिन्हें कम से कम किसी क्षेत्रीय स्तर के सक्रिय पदाधिकारी पद पर कार्य करने का अनुभव हो।

12.2 निर्वाचन कार्य प्रक्रिया में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का निर्वाचन होगा।
शेष पदों के लिए पदाधिकारियों का मनोनयन निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष से सलाह लेकर केंद्रीय प्रतिनिधि/संरक्षक सदस्यों में से किया जावेगा।

12.3 संगठन के सुचारु संचालन में सहायता के लिए केंद्र द्वारा निम्नांकित अंचल प्रभारी मनोनित किए जायेंगे-
1. रायपुर अंचल-रायपुर महिला मंच, भिलाई-दुर्ग, महिला मंच
2. महासमुंद अंचल- सराईपाली, साँकरा, पिथौरा, बसना, झारबंद, देवरी, सोनाखान
3. बिलासपुर अंचल - बिलासपुर नगर एवं ग्रामीण महिला मंच कोरबा
4. जांजगीर अंचल - जांजगीर, डभरा, सक्ती
5. सारंगढ़ अंचल- सारंगढ़, भुक्ता, बरमकेला 6. रायगढ़ अंचल अ- रायगढ़ नगर, ग्रामीण, महिला मंच, जशपुर, अम्बिकापुर तथा हिमगीर
7. रायगढ़ अंचल ब - खरसिया, पुसौर, लैलूंगा, घरघोड़ा नगर एवं ग्रामीण, पत्थलगाँव, धरमजयगढ़

12.4 समस्त स्तर पर पदाधिकारियों की योग्यता चाहिए कि वह न्यूनतम 30 वर्ष से अधिक हो, शिक्षित हो, (ग्राम स्तर पर जो भी संभव हो) स्वस्थ मस्तिष्क का हो तथा किसी प्रकार के सामाजिक कोष के गबन, दुरुपयोग या सामाजिक सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने का दोषी सिद्ध न हुआ हो। एक से अधिक बार दंडित व्यक्ति/पदाधिकारी बनने के अयोग्य होगा। विशेष परिस्थितियों में आयु सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है।

12.5 मतदान/निर्वाचन यथा संभव आम सहमति से होगा, किन्तु एक से अधिक प्रत्याशी होने पर मतपत्र द्वारा या तात्कालिक रूप से निर्वाचन समिति द्वारा लिये निर्णयानुसार प्रक्रिया में गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन किया जाएगा।

12.6 नामांकन शुल्क-चुनाव में प्रत्याशी के लिए निम्नानुसार नामांकन शुल्क जमा करना होगा-
(अ) केंद्रीय अध्यक्ष 5000/- वरिष्ठ उपाध्यक्ष 3000/- कोषाध्यक्ष 2000/-
(ब) क्षेत्रीय अध्यक्ष 2000/- उपाध्यक्ष 1000, कोषाध्यक्ष

500/– केंद्रीय प्रतिनिधि 1000/– ।

उपरोक्त राशि चुनाव हारने या जीतने या नाम वापस लेने की स्थिति में भी वापसी योग्य नहीं होगी।

धारा क्रमांक-13-केंद्रीय अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

1. अध्यक्ष केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठकों तथा अधिवेशनों की अध्यक्षता करेंगे।
2. अध्यक्ष अपने समस्त कार्यों का सम्पादन बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बहुमत की राय पर करेंगे।
3. संगठन के नाम पर, संगठन के हित में संकलित कोष का दुरुपयोग नहीं होने देंगे।
4. संगठन के लिए किसी भी प्रकार का निशर्त दान स्वयं या किसी अधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से स्वीकार कर सकेंगे।
5. आंचलिक प्रभारी/सचिवों को क्षेत्रीय समितियों के चुनाव कराने हेतु निर्देश या सीधे क्षेत्रीय समितियों को चुनाव कराने के निर्देश दे सकेंगे, इस कार्य के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।
6. आंचलिक, क्षेत्रीय या ग्राम समितियों के पदाधिकारियों या संरक्षक सदस्य या कोई सदस्य के विरुद्ध प्राप्त लिखित शिकायतों की उचित ढंग से जांच करेगे तथा उनके द्वारा कर्तव्यों के प्रति ढील, स्वेच्छाचारिता, निष्क्रियता, अनिवार्य चंदा में उगाही में शिथिलता, सामाजिक कोष में गबन या हेराफेरी या अन्य किसी अपराध में लिप्त रहने के दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। ऐसे दोषी पदाधिकारी सदस्यों को पदमुक्त करने से पूर्व कारण बताओं नोटिस देना आवश्यक है।
7. केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में लगातार तीन बार बिना उचित एवं पर्याप्त कारणों के अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों या सदस्यों के पद से मुक्त करने या निलंबित करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।
8. अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वे सामाजिक संपत्ति की व्यवस्था, रक्षा या रख-रखाव के लिये उचित प्रबंध करें।
9. किसी अपरिहार्य कारणवश आंचलिक, क्षेत्रीय या ग्राम पदाधिकारियों या महिला तथा युवा संगठनों के पदाधिकारियों का चुनाव/मनोनयन न हो पाये तो इस पद पर वर्तमान कार्यरत पदाधिकारी का कार्यकाल चुनाव होते तक बढ़ाने का अधिकार या नये पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।
10. अध्यक्ष को किसी भी इकाई का लेखा परीक्षण कराने का अधिकार होगा जिसका प्रयोग वे कभी भी कर सकते हैं।
11. अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के निर्वाह तथा संगठन के कुशल संचालन हेतु केंद्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों/सदस्यों या अन्य किसी व्यक्ति को, जिसे उचित समझे, संगठन के किसी कार्य विशेष के लिये अधिकृत कर सकते हैं। वे अपने पदाधिकारियों के मध्य कार्य/विभागों का बंटवारा करने के लिये सक्षम होंगे।
12. अध्यक्ष अपनी सहायता के लिये एक सचिव की नियुक्ति करने के लिये सक्षम होंगे।
13. सभी पदाधिकारी, सदस्य अध्यक्ष के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
14. अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह संगठन की ओर से आवश्यकता पड़ने पर किसी के विरुद्ध न्यायालय में वाद कर सकते हैं।

धारा क्रमांक-14-अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव-

अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण कार्यकाल में दो बार लाया जा सकता है, परन्तु चुनाव के एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है, इसके लिये कुल मतदाताओं की संख्या 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिये अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिये 2/3 मतदाता सदस्यों की सहमति होनी आवश्यक हैं। प्रस्ताव पारित महासभा या विशेष अधिवेशन में किया जा सकेगा।

धारा क्रमांक-15-अध्यक्ष द्वारा कार्यभार सौंपना-

कार्यकाल की समाप्ति अथवा अश्विास प्रस्ताव के कारण पद्मुक्त होने पर या स्वयं त्यागपत्र देने पर अध्यक्ष तत्काल कार्यभार से मुक्त होकर 15 दिनों के भीतर यथा स्थिति अनुसार नये अध्यक्ष को अपना कार्यभार कार्यपंजी (Minute Book) में विधिवत् लिखकर सौंप देंगे तथा साथ ही समस्त रजिस्टर, रिकार्ड, मुहरें आदि भी कुल कोष के अद्यतन हिसाब के साथ कार्यभार ग्रहण करने वाले को सौंप देंगे।

धारा क्रमांक-16-कार्यकाल के मध्य में अध्यक्ष के पद्च्युत हो जाने, मृत्यु हो जाने या स्वयं त्याग पत्र देने की स्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संगठन के कार्य का संपादन, अध्यक्ष के अगले चुनाव तक करेंगे। अध्यक्ष का चुनाव पदमुक्ति के 6 माह के भीतर हो जाना चाहिये। विशेष परिस्थिति में यह अवधि पुनः 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है।

धारा क्रमांक- 17 धारा क्रमांक 16 की स्थिति में अध्यक्ष का चुनाव महासभा में या सदस्यों की विशेष सभा को बुलाकर किया जा सकेगा जिसके लिये प्रक्रिया धारा क्रमांक 12.0 तथा 12.1, 12.4, 12.5, 12.6 की तरह होंगी।

धारा क्रमांक-18 उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करना।
2. अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों का संपादन करना।

धारा क्रमांक-19-महासचिव के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना तथा अध्यक्ष के कार्यों में सहायता करना।
2. समस्त बैठकों/अधिवेशनों के लिए पूर्व सूचना जारी करना, बैठकों की चर्चाओं को पंजीबद्ध करने की व्यवस्था करना, उचित रिकार्ड रखना तथा आवश्यकता होने पर उनका प्रकाशन करना।
3. विभिन्न विभागों का समन्वय करना, संगठन के बाहर अन्य संगठनों/सरकारी विभागों के साथ उचित सम्पर्क बनाये रखना। क्षेत्रीय अभिलेखों की जाँच एवं अंकेक्षण कराना।
4. जनसंपर्क

धारा क्रमांक-20-कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

कोषाध्यक्ष, संगठन के समस्त कोषों का हिसाब तथा समस्त आय-व्यय का हिसाब पंजीबद्ध रखेंगे। कैश बुक, लेजर बाउचरों का रखरखाव करेंगे। व्ययों पर नियंत्रण करेंगे। बैंक खातों का परिचालन, अध्यक्ष/सचिव/महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ निकासी आदि का कार्य करेंगे। प्रतिवर्ष संगठन की आय-व्यय विवरणी का प्रकाशन तथा लेखा परीक्षण करायेंगे।

धारा क्रमांक-21-अन्य पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

21.1 अध्यक्ष के मार्गदर्शन तथा नेतृत्व में कार्य करना तथा संगठन के हित में कार्य सम्पादन करना होगा।

21.2 विशेष प्रावधान-

(अ) अघरिया महिला मंच- अघरिया समाज की महिलाओं में शिक्षा तथा जागरूकता के प्रसार हेतु प्रत्येक इकाईयों द्वारा महिला मंच का गठन किया जा सकेगा। ये मंच उस इकाई विशेष के अधीन अथवा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्थिति में उचित सम्बद्धता शुल्क सहित केंद्र में आवेदन करने पर केंद्र इन्हे अपनी इकाई के रूप में मान्यता देते हुए सम्बद्धता प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगा। किसी इकाई के अधीन कार्य करने की स्थिति में महिलाओं की एक विशेष समिति उस इकाई में बनाई जा सकती है। महिला मंचों के सदस्यों की सदस्यता अन्य इकाईयों की तरह ही निर्धारित होगी तथा संगठन के नियम, उप नियम इन पर भी समान रूप से लागू होंगे।

केंद्रीय महिला संयोजिका- इस पद का मनोनयन केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा। केंद्र चाहे तो विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय महिला संयोजिकाओं का मनोनयन क्षेत्रीय समिति से परामर्श लेकर कर सकती है।

केंद्रीय संयोजिका का प्रमुख कार्य अखिल भारतीय अघरिया समाज में कार्यरत विभिन्न महिला मंच, समितियों से निरंतर संपर्क बनाये रखना, समन्वय रखना, क्रियाशील बनाए रखने हेतु प्रेरित करना, विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन बनाये रखने हेतु प्रेरित करना, विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराना, इनको केंद्रीय समिति से जोड़े रखना तथा उचित मार्गदर्शन करना होगा। क्षेत्रीय संयोजकाओं का कार्य उक्तानुसार अपने क्षेत्रों में करना होगा। क्षेत्रीय संयोजिकाएँ क्षेत्रीय अध्यक्ष के अधीन कार्य करेंगी, किन्तु केंद्रीय संयोजिका के मार्फत केंद्रीय समिति से जुड़ी होगी।

कार्यक्रम- महिला मंच तथा समितियाँ, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम निर्धारण में स्वतंत्र होंगी, तथापि उनके लिये केंद्र विशेष कार्यक्रम निर्धारण कर उनके क्रियान्वयन के निर्देश दे सकेगा।

(ब) अघरिया युवा मंच (युवक एवं युवतियाँ दोनों सम्मिलित)- महिला मंच की तरह ही समाज की युवा शक्ति को सकारात्मक समाज के निर्माण हेतु संगठित करने के लिए अघरिया युवा मंच का गठन किया जा सकेगा। युवा मंच क्षेत्रों में क्षेत्रीय समितियों के अधीन कार्य करेंगे, तथापि किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोई युवा मंच स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करना चाहे तो अन्य इकाईयों के समान आवश्यक सम्बद्धता शुल्क सहित केंद्र में आवेदन कर सकेगा। प्रत्येक स्थिति में उसे केंद्र के नियमों के तहत तथा उसके मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य करना होगा।

क्षेत्रीय समितियों के अधीन कार्यरत युवा मंच क्षेत्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कार्य करेंगे। समिति के एक युवा समिति बनाई जा सकेगी।

सदस्यता तथा सदस्यता शुल्क- अन्य समितियों के लिए निर्धारित नियमानुसार ही होगी, युवतियों को स्वतंत्रता होगी कि वे महिला मंच, युवा मंच या दोनों की सदस्यता ग्रहण कर सकें।

संयोजन- केंद्र समग्र युवाओं तथा उनकी समितियों/मंचों

के संयोजन के लिये एक केंद्रीय युवा संयोजक, अंचल अनुसार आंचलिक संयोजक तथा क्षेत्रानुसार क्षेत्रीय युवा संयोजकों की नियुक्ति स्वयं कर सकेगा या आंचलिक एवं क्षेत्रीय समिति को इस हेतु निर्देश दे सकेगा।

केंद्रीय युवा संयोजक- इसका कार्य युवाओं में केंद्र का प्रतिनिधित्व करना, युवा मंचों/समितियों का गठन करना, उनके मध्य परस्पर समन्वय बनाए रखना, युवाओं के लिये कार्यक्रमों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन, समाज जागरण में ऊर्जा का रचनात्मक प्रयोग करने हेतु युवाओं को प्रेरित करना, संगठन के नियमों का पालन करना तथा सहयोग देना आदि होगा तथापि केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा समयानुसार सौंपे गये कार्य करना भी इनका दायित्व होगा।

आंचलिक एवं क्षेत्रीय युवा संयोजक- इनके कार्य केंद्रीय युवा संयोजक की तरह ही होंगे ये अपनी-अपनी समिति के अधीन कार्य करते हुए केंद्रीय समिति से जुड़े होंगे तथा केंद्रीय युवा संयोजक या केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कार्य करेंगे।

धारा क्रमांक-22-जिला/आंचलिक समितियों का चुनाव-

1. आंचलिक समितियाँ एक या अधिक जिले से बनाई जाएगी, जिसमें एक पदेन अध्यक्ष तथा एक अंचल सचिव नियुक्त चुना जा सकेगा। ये केंद्रीय उपाध्यक्ष, अंचल प्रभारी तथा पदेन अध्यक्ष होंगे।
2. इन पदाधिकारियों का मनोनयन महासभा में अध्यक्ष के द्वारा होगा।
3. इन पदाधिकारियों को अंचल में आने वाले जिले का निवासी होना आवश्यक होगा।

धारा क्रमांक-23-

1. अंचल समिति के पदाधिकारीगण अपने अंचल में आने वाले समस्त क्षेत्रीय/ग्राम समितियों के कार्यों, उनके पदाधिकारियों के चुनावों, अन्य कार्य के लिये उत्तरदायी होंगे।
2. अंचल प्रभारी, उपाध्यक्ष/सचिव का कार्य होगा कि वे समितियों का मार्गदर्शन करें, केंद्रीय समिति तथा क्षेत्रीय समिति के मध्य सेतु का कार्य करें।
3. अंचल समिति को अधिकार होगा कि वे क्षेत्रीय समिति के क्रियाकलापों पर उचित नजर रखें तथा शिकायत प्राप्त होने पर अपनी टिप्पणी केंद्रीय समिति को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।
4. अंचल समिति को अधिकार होगा कि वे अपने अंचल के समस्त क्षेत्रीय समितियों की वार्षिक, द्विवार्षिक बैठक आयोजित कर सके तथा अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन करें।
5. अंचल समिति को अधिकार होगा कि वे केंद्रीय समिति की बैठक अपने अंचल में बुलाएँ जाने की स्थिति में उनकी व्यवस्थाएँ अपने हाथ में ले।

धारा क्रमांक-24-क्षेत्रीय समितियाँ-

अ) किसी नगर, समूह या ग्राम समूह के लिये गठित समिति, क्षेत्रीय समिति कहलायेगी।

ब) क्षेत्रीय समितियों की कुल संख्या, समय-समय पर महासभा या केंद्रीय समिति द्वारा निर्धारित की जा सकेगी।

स) क्षेत्रीय समिति का कार्यकाल सामान्यतया पांच वर्ष का होगा किन्तु अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार ये समितियाँ अपनी कार्यकारिणी का कार्यकाल बहुमत से 5 वर्ष से कम भी कर सकेंगी।

धारा क्रमांक-25-क्षेत्रीय समिति की कार्यकारिणी, केंद्रीय समिति की कार्यकारिणी की तरह ही गठित की जायेंगी, तथा पदाधिकारियों/सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य केंद्रीय समिति के लिये उल्लेखित धाराओं के अनुसार ही होगी। इसमें किसी भी प्रकार के उल्लंघन या फेरबदल की अनुमति नहीं दी जायेगी।

धारा क्रमांक-26-समस्त क्षेत्रीय समितियों को निर्धारित शुल्क जमा कर 'अखिल भारतीय अघरिया समाज' (एक पंजीकृत संस्था) की सम्बद्धता ग्रहण करनी होगी। केंद्रीय समिति प्रत्येक क्षेत्रीय समिति को सम्बद्धता प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगी। प्रमाण-पत्र जारी तिथि से क्षेत्रीय समिति का अस्तित्व प्रभावशील माना जायेगा।

धारा क्रमांक-27-पुराने क्षेत्रीय समितियों को रद्द करने, क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने, या नये क्षेत्रीय समिति का निर्माण करने का अधिकार केवल महासभा को होगी।

धारा क्रमांक-28-क्षेत्रीय समिति 'अखिल भारतीय अघरिया समाज' के उद्देश्यों को पूरा करने, उसके नियमों, उप नियमों, धाराओं को मानने के लिये बाध्य होगी।

धारा क्रमांक-29-क्षेत्रीय समितियाँ, केंद्रीय समिति की अनुषंगी समिति के रूप में कार्य करेंगी, जिन्हें केंद्रीय समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा मार्गदर्शन में कार्य करना होगा।

धारा क्रमांक-30-समाज पंचायत-

संगठन पूरे समाज के सदस्यों के मध्य उत्पन्न उन समस्त विवादों को, सदस्य के आवेदन पर स्वीकार कर सकती है, जिनके

(जिसके) कारण समाज में व्याप्त परस्पर सौहार्द्र भाव में व्यवधान आ रहा हो या समाज की छबि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो या जिसका निपटारा अपरिहार्य हो गया हो, प्रत्येक दशा में संगठन की स्थिति एक पंचायत की रहेगी, जिसका प्रयास विवाद का निपटारा युक्तिसंगत, विधिसम्मत समझौते पर आधारित होगा।

30.1 विवाद निम्नानुसार हो सकते हैं–

अ. पति-पत्नी विवाद, तलाक आदि सहित

ब. रिश्तेदारी में विवाद

स. सम्पत्ति बंटवारा विवाद

30.2 विवाद निपटारा हेतु प्राथमिक औपचारिकता–

अ. प्रत्येक प्रकरण में सदस्य लिखित रूप से निर्धारित शुल्क रुपये 50/- के साथ अपनी क्षेत्रीय इकाई को पूरे ब्यौरे, प्रमाण सहित विवाद निपटारा हेतु आवेदन कर सकेगा, जिसे इकाई प्राथमिक जांच हेतु स्वीकार करेंगी तथा आगे दर्शित उपबन्धों अनुसार निर्णय की प्रक्रिया अपनायेंगी, यदि प्रकरण दो क्षेत्रों से संबंधित हो तो दोनों अध्यक्ष आपसी स्थान, तिथि का निर्धारण कर लेंगे।

किसी कारणवश यदि किसी सदस्य का आवेदन क्षेत्रीय समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो सदस्य सीधे केंद्रीय समिति को अपना आवेदन मय प्रमाणों के साथ प्रेषित कर सकता है। इस स्थिति में केंद्रीय समिति प्रकरण को उचित विचार हेतु संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रेषित करेंगी, जिस पर द्विक्षेत्रीय समिति को प्रकरण पर विचार करना ही होगा।

ब. सदस्य से प्राप्त लिखित आवेदन पर क्षेत्रीय समिति विचार कर प्रकरण के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करेगी।

स. क्षेत्रीय समिति प्रकरण पर अध्ययन करने हेतु अपने क्षेत्र के अनुभवी, विद्वान सदस्यों/पदाधिकारियों की एक उप-समिति बना कर उसे अधिकृत कर सकती है।

द. प्रकरण पर समुचित तथा निष्पक्ष अध्ययन के पश्चात् क्षेत्रीय समिति वादी-प्रतिवादी सदस्य को अपने कार्यालय में बुलाकर या पत्र द्वारा प्रकरण के संबंध में आवश्यक पूछताछ कर सकती है, जिस पर सदस्यों को उत्तर देना बाध्यकारी होगा।

इ. सदस्यों को अधिकार होगा कि मध्यस्थता द्वारा निपटारे के निर्णय की स्थिति में पहुँचने वाले प्रकरणों में अपने-अपने ओर से एक या दो पंच मनोनित करें तथा एक पंच दोनों पक्षों की आम सहमति पर मनोनित करें। प्रत्येक प्रकरण में पंच संख्या 3, 5 जैसी विषम संख्या ही होनी चाहिये ताकि बहुमत का निर्णय हो सके।

फ. प्रत्येक के सभी पक्षकारों को अपनी ओर से संगत तर्क देने का अधिकार होगा, जिसे फाईलों में नोट किया जायेगा।

ग. पंचों की रिपोर्ट को क्षेत्रीय समिति प्रकरण से संबंधित समस्त पक्षों के सम्मुख रखेगी, जिस पर आम सहमति की स्थिति में उसका अनुमोदन कर देगी। यदि रिपोर्ट पर दोनों पक्ष आम सहमत नहीं होते तो क्षेत्रीय समिति युक्तियुक्त ढंग से उस पर विचार कर अपना निर्णय सुनायेगी, जो पक्षकारों को मान्य होगा।

झ. विशेष परिस्थितियों में क्षेत्रीय समिति द्वारा पक्षकारों के लिये अपील करने का विकल्प खुला रखा जायेगा।

30.3 अ. अपील केंद्रीय समिति में की जा सकती है। इसे क्षेत्रीय समिति के निर्णय के तीन माह के भीतर मय विशेष कारण। कारणों में उन परिस्थितियों का उल्लेख होगा, जिनके कारण पक्षकार को अपील करने की आवश्यकता पड़ी। अपील हेतु अपीलार्थी को रुपये-100/- का शुल्क केंद्र में जमा करना होगा।

ब. केंद्रीय समिति अपील आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगी, तथापि वह सामान्यतया अपील आवेदन को जनहित में स्वीकार करेंगे।

स. केंद्रीय समिति के आदेश पर विचार करने हेतु एक उपसमिति जिसमें न्यूनतम दो सदस्य होंगे, का गठन कर उसे अधिकार देगी कि वह प्रकरण के पहलुओं पर विचार कर उचित न्यायपूर्ण निर्णय कर पहुँचे।

द. केंद्रीय समिति के आदेश पर गठित कथित उप समिति, प्रत्येक प्रकरण के लिये अलग-अलग हो सकती है।

झ. उप समिति का गठन केंद्रीय कार्यकारिणी के द्वारा एक बैठक में आम सहमति पर होगा। आम सहमति नहीं होने पर केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह विवेक से उप-समिति गठित कर उसे प्रकरण पर विचार करने का अधिकार दें।

फ. केंद्रीय समिति इस उप-समिति द्वारा दिये गये रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय प्रदान करेगी, जिस पर केंद्रीय अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

ज. केंद्रीय समिति का निर्णय अंतिम तथा सर्वमान्य होगा।

धारा क्रमांक-31- कोषों का आहरण/परिचालन

संगठन के सुचारु संचालन हेतु संगठन द्वारा सदस्यों से विभिन्न प्रकार के शुल्कदान, सदस्यता शुल्क प्राप्त करने, अन्य व्यक्ति/संस्था से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का अधिकार होगा।

31.1 प्रत्येक प्राप्त राशि के लिये संगठन द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मुद्रित रसीद जारी की जायेगी।

31.2 प्राप्त समस्त राशि, जिसे आगे कोष कहा जायेगा, केंद्रीय स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक या डाकघर में अध्यक्ष/सचिव या कोषाध्यक्ष द्वारा परिचालन निर्देश के साथ फिक्स्ड डिपाजिट/बचत खाते में रखा जायेगा। यहाँ सचिव का अर्थ महासचिव, कार्यालय सचिव व क्षेत्रीय सचिव हो सकता है।

31.3 किसी भी स्थिति में सामाजिक कोष का निवेश सट्टा, जुआ या निजी बैंक संस्था में नहीं किया जा सकेगा। सहकारी बैंक अपवाद होंगे।

31.4 कोष का हिसाब प्रत्येक समिति के कोषाध्यक्षों द्वारा रखा जायेगा, जिसके लिये वे आय-व्यय पंजी, कैशबुक आदि का नियमित रखरखाव इस तरह से रखेंगे कि कभी भी जांच किये जाने पर पाई-पाई का हिसाब अविलम्ब ज्ञात हो सके।

31.5 प्रत्येक समिति को प्रति वर्ष दिसम्बर की अंतिम तिथि पर पुस्तकों को बंद दिखा कर आय-व्यय विवरणी का प्रकाशन तथा उनका लेखा परीक्षण करना अनिवार्य होगा।

31.6 लेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय समिति द्वारा की जायेगी किन्तु क्षेत्रीय समितियाँ अपने क्षेत्र में कार्यरत लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षण करा कर आय-व्यय विवरणी की एक प्रमाणित प्रति केंद्रीय समिति को प्रति वर्ष 28 फरवरी तक भिजवायेगी।

31.7 केंद्रीय समिति प्रत्येक समिति से प्राप्त प्रमाणित विवरणी का लेखा परीक्षण अपने द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक, जो कि चार्टड एकाउन्टेंट से कम नहीं होगा, लेखा परीक्षण करा कर अपने अलग से आय-व्यय विवरणी का भी लेखा परीक्षण करायेगी।

31.8 संगठन के संचालन के लिये किये गये व्ययों या किसी विशेष आयोजन/प्रयोजन/भवन निर्माण के लिये किये गये व्ययों का अभिलेख संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बाउचर के रूप में बिल के साथ रखा जायेगा।

31.9 समस्त वाउचरों को एक फाईल में पर्याप्त अभिरक्षा में रखा जाना होगा।

31.10 आहरण का अधिकार प्रत्येक समिति में नियमानुसार आहरण अधिकार होंगे।

1.100/- तक अध्यक्ष की अनुमति से

2.100/ से अधिक पर अध्यक्ष के साथ सचिव के प्रति हस्ताक्षर होने आवश्यक होंगे।

यह आहरण विभिन्न मदों में खर्चों से संबंधित होंगे। जैसे जलपान, सत्कार, व्यय, पदाधिकारियों को स्वीकृत यात्रा भत्ता व्यय आदि। (विशेष प्रयोजन में बैंक आहरण इनसे अलग होगा।)

3. एक बार में अधिकतम आहरण क्षमता 500/- की होगी, इससे अधिक से आहरण के लिये कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा या भुगतान के बाद पुष्टि कार्यकारिणी से कराई जानी आवश्यक होगी।

4. केंद्रीय अध्यक्ष को एक बार में विशेष प्रयोजन (सामाजिक कार्य) हेतु रुपए 5000/- तक व्यय करने का अधिकार होगा।

धारा क्रमांक-32-आचार संहिता (नियमावली)

संगठन के प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्यगण संगठन द्वारा, समाज की परम्पराओं के आधार पर प्रतिपादित आचार संहिता का पालन करेंगे ताकि सामाजिक ढांचे को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए अघरिया समाज विकास की दिशा में अग्रसर होता रहे।

चूंकि व्यक्ति की पहचान उसके जनक समाज से होती है, अतः व्यक्ति का यह दायित्व हो जाता है कि वह अपने समाज की पहचान बनाये रखे। सामाजिक आचार-संहिता, समाज को सुदृढ़ बनाये रखने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार नियम है, जिसे निम्न बिन्दुओं में व्यक्त किया गया है।

1. जन्म संस्कार-नवजात शिशु का षष्ठी कर्म होगा। शुद्धिकरण हेतु नाई, धोबी, दाई या सुइन की आवश्यकता होगी। अ. षष्ठी सादगीपूर्ण किया जावे।
2. अन्य संस्कार- शिशु नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण-छेदन आदि संस्कार सादगीपूर्ण निपटाये जायेंगे।
3. विवाह संस्कार- 1. वर द्वारा कन्या देखने के पूर्व सहमति प्राप्त करना होगा। गोत्र, नाम, राशि आदि के मिलाने का कार्य पहले ही कर लिया जाना होगा।
2. लड़के पक्ष द्वारा कन्या देखने का कार्य अधिकतम दो बार हो सकता है। प्रथम बार अधिकतम चार तथा द्वितीय बार अधिकतम सात व्यक्ति इस कार्य में सम्मिलित हो सकेंगे।

3. नारियल फोड़ने की रस्म परस्पर सहमति से किसी भी पक्ष के यहां हो सकती है।

4. लग्नपूजा (फलदान) रस्म में वर पक्ष की ओर से अधिकतम 12 व्यक्ति ही जा सकेंगे। मांसाहार निषिद्ध होगा। पूजा निमित्त कन्या पक्ष को एक मुँह-ढकाई साड़ी, एक तोला सोना और पचास तोला चांदी या मात्र दो तोला सोना वर पक्ष द्वारा दिया जा सकता है।

5. विवाह पद्धति- स्वजातीय वैदिक रीति अथवा न्यायलयीन रीति अनुसार हो सकती है। रीति पर उभयपक्ष की सहमति आवश्यक है।

6. वैवाहिक निमंत्रण पर पाणिग्रहण समय तथा तिथि के अतिरिक्त अन्य तिथि विवरण अंकित करना आवश्यक नहीं होगा। यह स्वेच्छा पर निर्भर होगा।
वैवाहिक निमंत्रण पत्र उचित स्थान पर निम्नांकित स्लोगन मुद्रित करना प्रशंसनीय होगा, जिसके लिये संगठन की ओर से प्रशंसा पत्र जारी किया जायेगा-
अ. दहेज लेना-देना पाप है।
ब.शुभ कार्य सादगीपूर्ण किया जावे।
स. सीमित बारात-सुखी विवाह
द. सदगीपूर्ण विवाह-सर्वोत्तम विवाह

7. बारातियों की संख्या अधिकतम 100 होनी चाहिये, इससे अधिक होने पर प्रति बाराती रुपये 50/- की दर से वर पक्ष द्वारा ग्राम प्रमुख/क्षेत्र के पास (कन्या पक्ष वाले ग्राम के) जमा करना होगा।

8. विवाह निमंत्रण की एक प्रति ग्राम प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रमुख को भेजना आवश्यक होगा।

9. विवाह में मण्डप व्यय के रूप में ढेड़हीन, ब्राह्मण, नाई आदि के लिये कुल 1000/- अधिकतम होगा।

10. विवाह के पंजीयन हेतु समाज में ग्राम प्रमुख के पास 51/- अदा करना होगा।

11. वर ग्राम में वर-वधू को संगठन का आजीवन सदस्य बनाया जाना चाहिये।

12. मौर परसना, आम पत्तों से ही किया जाना चाहिये।

13. विवाहोपरान्त कन्या का तिजहा/पहुनाई भ्रमण निषिद्ध

14. विवाहोपरान्त कन्या पहुँचाई में प्रथम बार 12 व्यक्ति जा सकेंगे। द्वितीय बार (अगहन पहुँचाई) वधू तथा रोटी पहुँचाना कन्या पक्ष के लिये अनिवार्य नहीं।
वर स्वयं या वर पक्ष का प्रतिनिधि स्वयं आकर कन्या ले जा सकेंगे। रोटी की सीमा अधिकतम 3 टीन हो सकती है।

15. बारात भोजन रात्रि 11 बजे तक हो जाना चाहिये, विलम्ब करने वाले पक्ष को 1000/- सेवा शुल्क समाज को देय होगा। (कन्या पक्ष के ग्राम प्रमुख के पास)

16. उक्त कंडिकाओं में से कंडिका 8 को छोड़कर अन्य के उल्लंघन करने पर रुपए 1000/-से 5000/- तक का अर्थदण्ड देना होगा।

4. तलाक अथवा विवाह विच्छेद अथवा वचनभंग-

क. विवाह संस्कार में तीन पद है-
अ. वाकदान-विवाह की सहमति का वचन दिया जाना तथा नारियल फोड़ाई-
ब. लग्नू पूजा-फलदान
स.कन्या दान-पाणिग्रहण-वाक दान के पश्चात् सम्बन्ध विच्छेद करने पर, विच्छेद करने वाले 5000/- से 15000/ - तक अर्थदण्ड।
द. लग्न पूजा के पश्चात् संबंध विच्छेद करने पर, करने वाले पर रु. 5000/- से 10,000/- का अर्थदंड
इ. कन्या दान (पाणिग्रहण) के पश्चात् संबंध विच्छेद करने पर, करने वाले पर 10,000/- से 50,000/- तक के अर्थदण्ड द्वारा क्षतिपूर्ति की जायेगी।
फ . इनके साथ ही पचहर तथा विवाह में प्राप्त सभी सामग्री वापस की जायेगी। क्षतिपूर्ति राशि का 10 प्रतिशत भाग संबंधित समिति को दी जायेगी। न्याय समिति के निर्णयानुसार अतिरिक्त खर्च भी लिया जा सकेगा।

ख. पत्नी द्वारा तलाक स्वीकार नहीं होने पर वह अपनी इच्छानुसार (पिता या पति) जहां रहना चाहे रहेगी तथा पति द्वारा इसके लिये उचित व्यवस्था करने हेतु माहवार खर्च 500/- से 1500/- तक दिया जायेगा।

ग. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार तलाकशुदा पति-पत्नी के पुत्र-पुत्री पर माता-पिता का समान अधिकार होगा।

घ. नाबालिग संतान (बालक पांच वर्ष तथा बालिका सात वर्ष) माँ के साथ रह सकेंगे जियके लिये पिता द्वारा माहवारी खर्च 200/- से 500/- दिया जाएगा।

ङ दोनों पक्षों की सहमति के बाद लिखे गये तालकनामें के बाद दोनों पक्षों द्वारा 2000/- से 5000/- तक की राशि समाज को दी जायेगी जिसका निर्धारण समाज की संबंधित क्षेत्रीय इकाई करेगी।

च. संतानहीन विधवा/विधुर यदि अपनी संपत्ति बेचना चाहें तो अपने नजदीकी रिश्तेदारों को वरीयता देंगे।

5. मृतक कर्म-

क. निमंत्रित व्यक्ति या उसके एक प्रतिनिधि मृतकभोज में शामिल होंगे। चंदनपान में न्यूनतम 10/- की राशि सहयोग के रूप में देनी होगी। चंदनपान क्षेत्रानुसार भोजन के पूर्व या पश्चात् आयोजित की जा सकेगी। सहयोग राशि को पंजीबद्ध किया जाना चाहिये। सहयोग राशि हेतु घुमाये जाने वाले पात्र को पूजा मंडप में नियत स्थान पर रखा जावे।

ख. मृतक भोज में संपूर्ण परिवार की ओर से मात्र एक जोड़ी पकवान परोसे जायेंगे, उल्लंघन करने वाले को 100/- से 500/- तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

ग. सात दिनिया प्रथा समाप्त किया जावे।

घ. नाबालिक (3 वर्ष तक) बच्चों के मृतक भोज में केवल परिवार (ममेरा परिवार सहित) ही शामिल हो। चंदनपान किया जावे। 21 दिन की आयु वाले नवजात शिशु की मृत्यु भोज जरूरी नहीं, केवल हंडी बदला जायेगा।

च. पीपल पेड़ के नीचे सज्जा दान व अन्य के लिये निषिद्ध। इच्छुक व्यक्ति दान/सामग्री घर वालों को देंगे यह प्रथा स्वैच्छिक होगी।

छ. विधवा होने पर चूड़ी तोड़ने की रस्म स्वाभाविक रूप से होनी चाहिये। विधवा के साथ प्रत्येक बर्ताव मानवीय होना चाहिये।

ज. मृतक के परिवार में गुरुड़पुराण सुनने की अनिवार्यता नहीं होगी।

6. अपवाद-

काई व्यक्ति यदि किसी विवाहित सजातीय स्त्री को अपना ले तो इसे उसके पूर्व पति को 5000/- से 1,00,000/- रुपया तक हर्जाना देना तथा इसके जेवरात वापस करने होंगे, सामाजिक संगठन द्वारा राशि का निर्धारण होगा, जिसमें 10 प्रतिशत सामाजिक कोष में जायेंगी।

7. प्रतिष्ठा-

समाज की प्रतिष्ठा के लिये मद्यपान, जुआ खेलना तथा घर पर मुर्गीपालन वर्जित है। उल्लंघन कर्ता को आर्थिक दंड दिया जायेगा।

8. सम्मान-

क. उम्र का ध्यान नहीं रखते हुए रिश्ते में अपने से बड़ों का सम्मान किया जायेगा।

ख. देवर-भाभी, अनुज वधु-ज्येष्ठ का रिश्ता सम्मान का है। मारपीट होने पर संबंधित दोषी पक्ष को 500/- का अर्थदण्ड सामाजिक संगठन को देना होगा।

ग. महिलाओं को शिक्षा तथा उचित स्वतंत्रता दिया जाना होगा।

9. भेंट-

क. तीर्थ यात्रा आदि से लौटै यात्रियों को भेंट स्वरूप एक नारियल दिया जायेगा।

ख. ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ, जहाँ भेंट देकर भोजन किया जाता है, भेंट सामग्री वापस नहीं की जावेगी।

10. प्रायश्चित (तौहीनी) -

क. गो-वध के दोषी को क्षमायाचना सहित ईश्वर के किसी तीर्थस्थल में जाना होगा, लौटकर मांझी लगाकर आत्मियों को भोजन कराना होगा।

ख. परमेश्वरदण्ड के दोषी व्यक्ति को शुद्धिकरण तिथि में मांझी लगाकर गांव के आत्मीयों को भोजन कराना होगा, इसमें मांझी को 50/- देना होगा। मांझी के अभाव में 5 गोत्र के 5 व्यक्तियों को भोजन कराकर तथा हवन आदि से यह कार्य संभव हो सकेगा। समाज को 100/- अर्थदण्ड देना होगा।

11. पौना पसारी-

शुभ कार्यों के निष्पादन में नाई, धोबी की सहायता ली जायेगी। विशेष परिस्थिति में क्षेत्रीय समिति के निर्णयानुसार कार्य होंगे।

12. विवाद-

क. सामाजिक विवादों के निराकरण हेतु क्रमशः ग्राम सभा, क्षेत्रीय सभा तथ अंत में केंद्रीय सभा के सोपानों से गुजरना होगा।

ख. काल, परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय समिति उपरोक्त नियमों में स्थानीय संशोधन केंद्र के अनुमोदन से लागू कर सकेगी।

13. सामाजिक सर्वेक्षण, विवाह सत्कार एवं मृतक भोज संस्कार के विवरण अनिवार्य रूप से ग्राम डायरी में अंकित करने होंगे।

14. किसी प्रकार के विवाद या संदेह की स्थिति में केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ■